

दी गण

न्याय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

अर्थात् पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
60/19 वादी	188 RTA	रकांशरवा	इकडा
वादी		वाद शीर्षक	प्रतिवादी
ओमप्रकाश		बनाम	शोनाथ

वकील :- आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

01 7/19

अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 RTA (आर टी एक्ट) विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्गे सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 17/7/19 को पेश हो।

17 7/19

पत्रावली पेश हुई। वकील भाषी उपस्थित। प्रतिवादी गणों के सम्मन वाद तारीख अत्रात्। वादते ईतबार सम्मन पत्रावली दिनांक 7/8/19 को पेश हो।

7 8/19

आज पीतासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 22.1.19 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)

17 9/19

आज पीतासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 22.1.19 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)

22 10/19

पत्रावली पेश हुई। वकील भाषी उपस्थित। वकील प्रतिवादी द्वारा अपण्टर टेबिकेण पेश की गई परन्तु वकालत भाषा पेश बाली नहीं वादते है। एही स्थिति के प्रतिवादी गणों के विरुद्ध एक पक्षीय कार्य वाही की जाती है। वादते आक्षेप वादी पत्रावली दिनांक 30/10/19 को पेश हो।

Handwritten notes on the right margin, including dates and names.

पगावली MRC के गोठे के बांड पूर्वत स्थिति मे आज पेश हुई। वकील पार्थी उपस्थित। न्यायालय मे रुक-रुक कर बार बार आवाज पुकारवाई। ई कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण ठसक दायिती ठसक धरकी खरिज किया जाता है। पगावली पेशल शुगर डोकर साखिल रफर है। 12